**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3117

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां**

3117. श्री सी॰ पी॰ नारायणनः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों तथा केन्द्र सरकार के अन्य स्कूलों में शिक्षकों की अत्‍यधिक कमी है;

(ख) वर्तमान में स्वीकृत संख्या, वर्तमान संख्या तथा अस्थायी शिक्षकों की संख्या तथा रिक्तियां कितनी-कितनी हैं;

(ग) उन स्कूलों की संख्या कितनी है जहां शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात स्वीकृत अनुपात से कहीं अधिक है; और

(घ) ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है जहां 50 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत पद रिक्त हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क): शिक्षण कर्मचारियों के पदों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। पदों के रिक्‍त होने और नियुक्ति होने के बीच समय अंतराल के कारण कुछ रिक्तियां सदैव बनी रहती हैं। तथापि, समय-समय नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया की जाती है परन्‍तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसलिए आवश्‍यकता के आधार पर संविदा शिक्षकों को रखा जाता है।

केन्‍द्रीय तिब्‍बती स्‍कूल प्रशासन( सीटीएसए) ने सूचित किया है कि सीटीएसए द्वारा संचालित स्‍कूलों का स्‍थानांतरण शिक्षा विभाग, केन्‍द्रीय तिब्‍बती प्रशासन, धर्मशाला को किए जाने के कारण सीटीएसए द्वारा वर्ष 2013 से नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नही की गई है। जहां तक देश में चलाए जा रहे 121 रेलवे स्‍कूलों का संबंध है, उनमें शिक्षकों के कुछ पद रिक्‍त हैं और निरंतर नियुक्ति प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संबंधित रेलवे क्षेत्र द्वारा रेलवे नियुक्ति बोर्ड को मांगे भेजी गई हैं। इन स्‍कूलों में नियमित रिक्तियों के लंबित होने के कारण संविदा आधार पर शिक्षकों को रखने की भी अनुमति है।

(ख): केन्‍द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्याय समिति (एनवीएस) और सीटीएसए द्वारा संचालित स्‍कूलों में स्‍वीकृत संख्‍या, वर्तमान संख्‍या, अस्‍थायी शिक्षकों और रिक्तियों का विवरण निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | संस्‍वीकृत संख्‍या | वर्तमान संख्‍या | रिक्‍त पद | अस्‍थायी शिक्षक |
| केवीएस | 47085 | 39200 | 7885 | 6454 |
| एनवीएस | 13355 | 11076 | 2279 | 2051 |
| सीटीएसए | 169 | 132 | 13 | 24 |

(ग): जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवि) और सीटीएसए स्‍कूलों में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 1:25 है जबकि केन्‍द्रीय विद्यालयों में यह 1:27 है। यह अनुपात नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) की तुलना में बेहतर है।

(घ): केन्‍द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और सीटीएसए के ऐसे स्‍कूलों जहां 50 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत शिक्षकों के पद रिक्‍त हैं, का विवरण निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | केन्‍द्रीय विद्यालय | जवाहर नवोदय विद्यालय | सीटीएसए |
| 50% रिक्‍त पद | 89 | 48 | शून्‍य |
| 40% रिक्‍त पद | 104 | 29 | शून्‍य |
| 30% रिक्‍त पद | 135 | 36 | शून्‍य |

**\*\*\*\*\***